परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

संख्या–2788एफए / 08–~~349~~155एफए / 98 दिनांक: 03 अक्टूबर,08

1. प्रधान प्रबन्धक,उ0प्र0परिवहन निगम केन्द्रीय कार्यशाला डा0राम मनोहर लोहिया कार्यशाला कानपुर।
2. प्रधानाचार्य,उ0प्र0परिवहन निगम प्रशिक्षण संस्थान,कानपुर।
3. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,उ0प्र0परिवहन निगम।
4. प्रधान प्रबन्धक,आहरण एवं वितरण अधिकारी,परिवहन निगम मुख्यालय,लखनऊ।
5. प्रबन्धक,कार सेक्शन,उ0प्र0परिवहन निगम लखनऊ।
6. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त),उ0प्र0परिवहन निगम।
7. सहायक प्रबन्धक,(बजट / केन्द्रीय भुगतान) उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय,लखनऊ।

विषय :– उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी / अधिकारी चिकित्सा एवं परिचर्या नियमावली–1994 के विनियम–26 के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने वाले चिकित्सा अग्रिम हेतु प्राधिकृत सक्षम अधिकारी के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कतिपय क्षेत्रों / ईकाइयों द्वारा इस कार्यालय के परिपत्र सं0–261एफए / 95–349एफए / 88 दिनांक 1–2–95 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत अब भी अपने अधीनस्थ कर्मिकों को उपचार हेतु एक माह का मूल वेतन चिकित्सा अग्रिम रूप में स्वीकृत किया जा रहा है तथा किश्तों में उसकी वसूली कर ली जा रही है।

उक्त संदर्भ में मैं आपका ध्यान इस कार्यालय के आदेश सं0–2004एफए / 98–155एफए / 98 दिनांक 7–11–98, जिसके अन्तर्गत भर्ती अवधि हेतु चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत किये जाने निम्न अधिकारियों को अधिकृत किया गया है :–

भर्ती हेतु चिकित्सा अग्रिम की धनराशि	स्वीकृत हेतु सक्षम अधिकारी
रू0 5,000/– तक प्रत्येक प्रकरण में परन्तु वर्ष में रूपया 50,000/–तक	वित्त नियंत्रक एवं मुख्य लेखाधिकारी/ (सीमा समाप्ति के उपरान्त संयुक्त प्रबन्ध निदेशक/अपर प्रबन्ध निदेशक)
रू0 5,000/– से अधिक रू0 10,000/– तक प्रत्येक प्रकरण में परन्तु वर्ष में रू0 1.00 लाख तक	अपर प्रबन्ध निदेशक/संयुक्त प्रबन्ध निदेशक(सीमा समाप्ति के उपरान्त प्रबन्ध निदेशक)
रू0 10,000/– से अधिक(वर्ष में किसी भी सीमा तक)	प्रबन्ध निदेशक

उक्त कार्यालय आदेश का अनुमोदन निदेशक मण्डल ने 145वीं बैठक दिनांक 30–1–99 के मद संख्या–16 के द्वारा प्रदान किया था बाद में सार्वजनिक उद्यम विभाग उ0प्र0शासन ने अग्रिम की अधिकतम सीमा रू0 50,000/– अथवा संस्तुति अग्रिम का 75 प्रतिशत जो भी कम हो, निर्धारित कर दी। स्पष्ट है कि 9–11–98 का परिपत्र निर्गत होने के फलस्वरूप इस कार्यालय द्वारा पूर्व जारी परिपत्र सं0–261एफए / 95–349एफए / 88 दिनांक 1–2–95 स्वतः निरस्त हो गया।

Downloaded from www.upsrtc.com

भविष्य में सुनिश्चित करें कि किसी कार्मिक को ऊपर वर्णित अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य कोई अधिकारी चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत नही करेगा। वाह्य अवधि हेतु चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत किये जाने का कोई नियम नही है।

यदि कोई विशेष परिस्थिति हो तो उक्त संदर्भ में उपरोक्त अधिकारी जो सक्षम हो से पूर्व में स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कथित अवधि हेतु चिकित्सा अग्रिम दिया जाये तथा मौखिक स्वीकृति के औपचारिक अनुमोदन हेतु प्रकरण तत्काल मुख्यालय भेजा जाय। तत्संबन्धी चिकित्सा नियमावली 1954 में दी गयी व्यवस्थाओं के अनुसार औपचारिकताएं पूर्ण कराकर प्रकरण वाउचर्स सहित स्वीकृति हेतु निगम मुख्यालय को प्रेषित किया जाय।

(एस०पी०वर्मा)
वित्त नियंत्रक

Downloaded from www.upsrtc.com